रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102021-230152
CG-DL-E-04102021-230152

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 4, 2021/आश्विन 12, 1943
No. 301] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 2021/ASVINA 12, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 04 अक्तूबर, 2021

सं. 27/2015–2020

विषयः वर्ष 2021–22 हेतु टीआरक्यू स्कीम के अंतर्गत यूरोपीय संघ को 5841 मीट्रिक टन (खांड/परिष्कृत) चीनी की मात्रा का आवंटन।

फा. सं. 01/91/180/879/एएम–08/निर्यात प्रकोष्ठ/(खण्ड VIII)/ई–20749.—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा वर्ष 2021–22 (सितम्बर 30, 2022 तक) हेतु यूरोपीय संघ को प्रशुल्क दर कोटे (टीआरक्यू) के अंतर्गत 5841 मीट्रिक टन खांड/परिष्कृत चीनी की मात्रा का आवंटन करते हैं।

2. अधिसूचना सं. 3/2015–20, दिनांक 20.04.2015 के अनुसार, टीआरक्यू के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात, उपरोक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों के स्वरुप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन ''मुक्त'' है।

3. यूरोपीय संघ को चीनी के तरजीही निर्यात हेतु उद्गम प्रमाण–पत्र, यदि अपेक्षित हो, उदगम प्रमाण पत्र अपर महानिदेशक विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यूरोपीय संघ को चीनी के निर्यात हेतु विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट अन्य प्रमाणन की आवश्यकता, यदि कोई हो, का पालन जारी रहेगा।

4. कोटे को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली द्वारा यूरोपीय संघ को टीआरक्यू मदों के निर्यात हेतु कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में संचालित किया जाएगा।

5. अधिसूचना सं. 20 दिनांक 07.09.2015 के साथ पठित अधिसूचना सं. 3/2015–2020, दिनांक 20.04.2015 द्वारा यथा अधिसूचित रिपोर्टिंग की शर्त का अनुपालन किया जाएगा।

6. <u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:</u>

टीआरक्यू के तहत यूरीपीय संघ को दिनांक 01.10.2021 से 30.09.2022 तक निर्यात किए जाने के लिए 5841 मीट्रिक टन (खांड और/अथवा परिश्कृत) चीनी की मात्रा को अधिसूचित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एंव पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

Directorate General of Foreign Trade

PUBLIC NOTICE

New Delhi, 4th October, 2021

No. 27 /2015-2020

Subject:- Allocation of quantity of 5841 MT (raw/refined) Sugar to EU under TRQ scheme for the year 2021-22.

F.No. 01/91/180/879/AM08/EC (Vol.VIII) /E-20749).—In exercise of powers conferred under Para 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby allocates **quantity of 5841 Metric Ton** of Raw/Refined Sugar, under Tariff Rate Quota (TRQ) to EU for the year 2021-22 (Upto September 30, 2022).

2. As per Notification No. 3/2015-20 dated 20.04.2015, export of sugar (HS Code 17010000) to EU under TRQ is 'Free' subject to the conditions notified in the 'Nature of Restrictions' in the above notification.

3. Certificate of Origin, if required, for preferential export of sugar to EU, shall be issued by Additional Director General of Foreign Trade, Mumbai. Other certification requirement, if any, prescribed specifically for export of sugar to EU would continue to be followed.

4. The quota will be operated by Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), New Delhi as the implementing agency for export of TRQ items to EU.

5. The reporting requirement as notified vide Notification No. 3/2015-2020 dated 20.04.2015 read with Notification No. 20 dated 07.09.2015 would be followed.

6. <u>Effect of this Public Notice:</u>

The quantity of 5841 MT sugar (raw and/or white sugar) to be exported to EU under TRQ scheme from 01.10.2021 to 30.09.2022 has been notified.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.04 21:56:17 +05'30'